

[भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय]

नई दिल्ली, तारीख .....2017

अधिसूचना

साक्षानि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, समूह 'ग' भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सांख्यिकीविद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकीविद, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

5. परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सांख्यिकीविद (2016)	01*	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसाचिवेय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5. रूपय 29200-92300	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।

**टिप्पणी:** आयु-सीमा अवधिरित करने के लिए नियाचक तारीख अधिकारियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, असमाचाल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागार्हेंड, विपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खड़, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य द्वेष के अधिकारियों के लिए विहित की गई है।

\*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहतारं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों परिवेश की अवधि

	के लिए प्रिहित आशु और शैक्षिक अहताएं प्रोन्नत लिखितयों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	यदि कोई हो।
(7)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में डिग्री जिसमें एक विषय अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित हो।	(8) (9)
	टिप्पण 1- अहताएं, अन्यथा सुअहित अध्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2- अनुभव संबंधी अहता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसन्धित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अध्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए अरक्षित रिक्तियों को अरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की समझावना नहीं है।	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे शैक्षियों  
तथा विज्ञन पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

(10) (11)  
लागू नहीं

सीधी भर्ती

<p><b>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</b></p> <p>(12)</p> <p>विभागीय पुष्टि समिति का संगठन :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) अंतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली - अध्यक्ष</li> <li>(ii) शरीर रचना विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष</li> <li>(iii) उपनिदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी</li> <li>(iv) उपनिदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली - सदस्य</li> <li>- सदस्य</li> </ul>	<p><b>भर्ता करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</b></p> <p>(13)</p> <p>लाभा नहीं होता ।</p>
--	--

[फॉर्म सं0 ए. 12018/18/2016 - एमएच.II]

(संजय पंत)  
अवर सचिव, भारत सरकार